an>

Title: Regarding rights of people in Bodoland Territorial Council, Assam.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की तरफ सदन के जरिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत् 1967-1968 से असम को विभाजन करने के लिए बोडोलैंड आंदोलन चल रहा है। असम तथा बीटीसी के साधारण जनता असम का विभाजन नहीं चाहते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार ने सिक्स शिड्यूल के अंतर्गत 2003 में बीटीसी का गठन कर दिया, बीटीसी गठन होने के बाद माइनॉरिटी बोडो लोगों को हक से ज्यादा सभी क्षेत्र में राजनैतिक, आर्थिक, जमीन) अधिकार मिल गया लेकिन बीटीसी में अबरो. (नॉन एसटी) की जनसंख्या 70 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अपना हक खो दिया। इसलिए वहां के कोच-राजबंशी, आदिवासी, कलिता, नाथ-योगी जनगोष्ठी को भी जनजातिकरण का मर्यादा दे देना चाहिए। साथ ही बीटीसी से 960 अबरो (नॉन एसटी) गावों ने बीटीसी से बाहर निकलने के लिए सरकार और कोर्ट का दरवाजा खट्खटाया है, इसलिए उन लोगों को किसी भी हालत में बीटीसी से बाहर कर देना चाहिए।

भविष्य में जब कभी भी बोडोलैंड और बीटीसी अपग्रेडीशन को लेकर केन्द्र सरकार के साथ कोई बैठक होती है तो उसमें उस क्षेत्र के सांसद होने के नाते हमें भी उस बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए और उस क्षेत्र के जो भी अबरो (नॉन एस टी) दल-संगठन हैं उन सभी संगठनों को बुलाना चाहिए नहीं तो फिर पहले जैसा माइनॉरिटी को हक से ज्यादा मिलेगा और मेजोरिटी को अपने हक से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मैं अध्यक्षा महोदय के जरिए भारत सरकार और असम सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए अनुरोध के साथ मांग करता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, जेटली साहब यहीं हैं। आप जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने के लिए कहिए।...(व्यवधान)